न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—169/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/169)

गणेश सिंह पुत्र रामसिंह (मृतक) जरिए वारिसान—

1. श्रीमती कमला देवी पत्नि स्व0 श्री गणेश सिंह
2. कैलाश पुत्र स्व0 श्री गणेशसिंह
3. बलवन्तसिंह पुत्र स्व0 श्री गणेशसिंह
4. ममता देवी पुत्री स्व0 श्री गणेशसिंह

समस्त जाति रावत निवासी भोजपुरा पोष्ट नून्दी मालदेव तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

5. श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री महेन्द्र सिंह पुत्री स्व0 श्री गणेशसिंह जाति रावत निवासी वार्ड नम्बर 1, गावं शाहपुरा तहसील ब्यावर अतीतमण्ड जिला अजमेर।
6. श्रीमती राधा पत्नि मयंकसिंह पुत्री स्व0 श्री गणेशसिंह जाति रावत निवासी वार्ड संख्या 22, चौडा नीमडी रूपनगर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. महेन्द्र छाजेड पुत्र लालचंद छाजेड जाति जैन निवासी छाजेड भवन, चिम्मनसिंह लोढा स्कूल के पास, नेहरू गेट ब्यावर जिला अजमेर।
2. श्रीमती रेखा देवी पत्नि राजेश उर्फ राजेशकुमार जाति जैन निवासी खन्ना कॉलोनी गीता भवन के पास, ब्यावर जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर
4. राजस्थान सरकार जरिए उप—पंजीयक, ब्यावर
5. हल्का पटवारी जेतगढ बामनिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिए जिलाधीश, अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2022 उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर राजस्व वाद संख्या 77/2021.

उपस्थितः—

1. श्री जी0एस0लखावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विवेक पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 03, 04.
4. रेस्पोडेंट संख्या 5 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—30.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 77/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने एक वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया, तत्पश्चात पत्रावली प्रतिवादी जवाब दावे में नियत रही, इसी दौरान प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया तथा वाद को खारिज करने का निवेदन किया तथा वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत किया तथा तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने दोनो पक्षों की बहस सुनते हुए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 77/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.4.2022 में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अनुसरण में निर्णय पारित करना चाहिए था, तथा वाद पत्र के अभिकथनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना था, लेकिन ऐसा नहीं कर जो बिंदु प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद पत्र में अंकित किए उन बिंदुओं के आधार पर ही वाद को खारिज कर निर्णय पारित किया है क्योंकि भूमि की अवाप्ति हो जाने का तथ्य अविवादित है परंतु अवाप्ति की कार्यवाही को वाद पत्र चुनौति नहीं दी गई अपितु राजस्व अभिलेख में नक्शे में किए गए अंकन की दुरूस्ती का वाद है तथा इसी बिंदु पर न्यायालय को वाद का निर्णय करना था, परंतु ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। यदि अभिलेखों की त्रुटि के रहते अवाप्ति की कार्यवाही में भूमि का मुआवजा भी किसी पक्ष को प्रदान कर दिया गया तो वास्तव में जो भूमि जहां स्थित रहेगी ही नहीं तथा अभिलेखों की त्रुटिवश किसी खसरा संख्या को गलत जगह दर्ज कर दिया गया तो उसकी दुरूस्ती करवाने का वादी अपीलार्थी का अधिकार समाप्त नहीं होता है तथा न्यायालय मुआवजे के रूप में प्रदान की गई राशि पुनः जमा करवाए जाने बाबत अण्डरटेंकिग लेने मे स्वतंत्र था तथा अपीलार्थी इस बाबत स्वेच्छित रूप से कार्यवाही कर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है परंतु जिस त्रुटि का कारित होना बाद में प्रकाश में आया या संज्ञान में आया तो अपीलार्थी वाछित दुरूस्ती करवाने से किसी भी प्रकार से उपचारविहीन नहीं हो सकता है इस प्रकार गंभीर विधिक बिंदु पर विचार करने की बजाए न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण वाद को ही खारिज कर दिया गया जो किसी भी प्रकार से आदेश 7 नियम 11 के दायरे में आदेश दिनांक 26.4.2022 नहीं आता है इस कारण दिनांक 26.4.2022 को पारित आदेश अपील निरस्त किए जाने योग्य है। किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है तथा न्यायालय इस बाबत आदेश 1 नियम 10 के प्रावधानों के तहत स्वयं आदेश पारित करने में तथा वादी को निर्देश देने में सक्षम है या निर्देश प्रदान करते हुए नया वाद प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए प्रकरण का निस्तारण करना विधिपूर्ण हो सकता था, परंतु आदेश दिनांक 26.4.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2022 को पढ़ने से प्रथम दृष्टया ही यह साबित हो जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अत्यंत ही अवैधानिक पहुंच रखते हुए अपने में निहित न्यायिक शक्तियों का अवैधानिक रूप से प्रयोग कर आदेश दिनांक 26.4.2022 पारित किया है निरस्त योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दुरूस्ती की कार्यवाही देने बाबत सक्षम होते हुए भी अपीलार्थी के वाद को मनमाने तरीके से खारिज करते हुए तहसीलदार के विवेक पर दुरूस्ती बाबत कार्यवाही किए जाने का निष्कर्ष अंकित किया है, इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने अपने में निहित न्यायिक शक्तियों का भेदभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करते हुए जो आदेश पारित किया है वह किसी भी प्रकार से विधिपूर्ण न्याय निर्णययन की परिभाषा में नहीं आता है, तथा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश पूर्णतया निरस्त किए जाने योग्य हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 77/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वादी ने मौजूदा प्रकरण का मूल एवं एकमात्र वाद हेतुक दिनांक 5.7.2021 को उत्पन्न होना बतलाया है तथा यह अंकन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त दिवस को वादग्रस्त भूमियों में नापचोक करवाने लगा जबकि वास्तविकता में दिनांक 5.7.2021 का प्रतिवादी संख्या 1 संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष उन्हें ब्यावर सिटीजन कोंसिल की और से महामंत्री श्री विमल चौहान के साथ आमंत्रण देने गया था तथा उस समय प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी वादग्रस्त भूमियों के सबंध में एक प्रार्थना पत्र भी संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर उनके द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को रेफर करते हुए इसका अंकन उक्त प्रार्थना पत्र पर किया था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 जब ग्राम नाहरपुरा में उपस्थित ही नहीं था तो उक्त दिवस को वादी को कोई वाद हेतुक उत्पन्न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है इस प्रकार वादी को मौजूदा प्रकरण बाबत कभी भी कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः बिना वाद हेतुक उत्पन्न हुए लाया गया वाद पोषणीय नहीं होने से सव्यय निरसत होने योग्य है। वादी ने भूमि साबिक खसरा नम्बर 596, 597 हाल खसरा नम्बर 791, 792 स्वयं की खरीदशुदा भूमि होना बतलाया गया है। जबकि उपरोक्त भूमिया पिछले पांच साल से अधिक समय से सडक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार के नाम अंकित चली आ रही है तथा उनके द्वारा सन् 2015 में उपरोक्त भूमियों को अवाप्त किया जा चुका है जिसका मुआवजा दिनांक 27.10.2015 को वादी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। इस प्रकार वादी के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 791, 792 में तमाम हक अधिकार समाप्त हो चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक अधिकार की भूमियों में वादी को कोई अधिकार ही हासिल नहीं हैं इस कारण वादग्रस्त भूमियों के संबंध में वादी को कोई वाद लाने का अधिकार हासिल नहीं है। मौजूदा प्रकरण में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार एक आवश्यक पक्षकार है जिसे वादी ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है अतः वादी का वाद पक्षकारों के असंयोजन मात्र के आधार पर सव्यय निरस्त होने योग्य है। वादी को कानूनन सर्वप्रथम अपने आपको खातेदार काश्तकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

घोषित करवाना आवश्यक था जो कि वादी ने नहीं किया है। अतः भी वादी का वाद इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है वादी ने मौजूदा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी संख 3 से 6 को धारा 80 जा0दी0 के तहत दो माह की अवधि का विधिक सूचना पत्र नहीं दिया है जो कि दिया जाना आवश्यक एवं बंधनकारी प्रावधान है। अतः विधिक प्रावधानों की अनुपालना किए बिना विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया गया होने से वादी का वाद निरस्त होने योग्य था अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने बैचाननामा दिनांक 11.10.200 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें बहादुर सिंह वगैरह कुल 30 सहखातेदारान से खसरा संख्या 791 व 792 को वादी श्री गणेशसिंह पुत्र राम सिंह द्वारा क्रय किया जाना अंकित है। जहॉ यह उल्लेखनीय है कि बेचाननामा जब पंजीकृत किया जाता है तब खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा अथवा फोटो भी प्रस्तुत किए जाते है परन्तु उक्त पंजीकृत बेचाननामें के साथ कोई फोटो अथवा नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त तत्समय वर्ष 2010 से भूमि अवाप्त किये जाने तक एवं मुआवजा प्राप्ति तक कोई एतराज जाहिर नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 02 ने अपने इस प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ अवाप्तशुदा भूमियों के अवार्ड की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नम्बर 791,792 की मुआवजा राशि गणेश सिंह वल्द रामसिंह कौम राजव के नाम अंकित है एवं स्वयं गणेश सिंह द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमियों का मुआवजा राशि प्राप्त किये जाने हेतु शपथ पत्र भी समक्ष अधिकारी को प्रस्तुत किया है तथा मुआवजा प्राप्त किये जाने की रसीद भी प्रस्तुत की है एवं मुआवजा प्रक्रिया के दौरान कोई उज्र एतराज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम नाहरपुरा की जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 254 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें खसरा संख्या 791 रकबा 0.0162, खसरा नम्बर 792 रकबा 0.0162 सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार हिस्सा पूर्ण विभाग/विभागीय भूमियॉ दर्ज होना पाया गया था तथा वर्तमान में वादी के नाम उक्त भूमियॉ दर्ज नहीं है। इसके अलावा सड़क परिवहन राजमार्ग मत्रांलय, नई दिल्ली भारत सरकार के नाम भूमियॉ होने के बावजूद उन्हे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है जो कि आवश्यक पक्षकार मुदकमा नहीं बनाया गया है जो कि आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। इस प्रकार उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार होने से स्वीकार किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलार्थीगण ने एक वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया, ग्राम नाहरपुरा पटवार क्षेत्र जेतगढ बामनिया में स्थित भूमि खेत खसरा संख्या पुराना 596 नया 791 रकबा 00–02–00 बीघा एवं खसरा संख्या पुराना 597 नया 792 रकबा 00–02–00 बीघा वादी की खरीदशुदा भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की भूमि खेत खसरा संख्या 1232/794 रकबा 0.1376 हैक्टर भूमि ग्राम नाहरपुरा में अवस्थित है। यदि हस्तगत प्रकरण भूमि

Scanned with CamScanner

अवाप्ति की प्रक्रिया को चुनौति देने वाला होता तो निश्चित रूप से क्षेत्राधिकार बाधित होता लेकिन यहां प्रकरण नक्शा शुद्धि का है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पीकिंग आदेश दिया जाना या जिसमें न्यायालय को यह समाधान करना चाहिए था कि यदि प्रार्थी नक्शा शुद्धि का प्रार्थना–पत्र राजस्व न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकता तो ऐसे प्रकरणों की अधिकारिता किस न्यायालय को है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर नहीं किया गया कि नक्शा शुद्धि के प्रकरण राजस्व न्यायालय ही सुनते है। उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.04.2022 में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानो के अनुसरण में निर्णय पारित करना चाहिए था तथा वाद–पत्र के अभिकथनो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना था लेकिन ऐसा नहीं कर जो बिन्दु प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद पत्र में अंकित किए उन बिन्दुओं के आधार पर ही वाद को खारिज किया है, विधि सम्मत नहीं है क्योंकि भूमि की अवाप्ति हो जाने का तथ्य अविवादित है परन्तु अवाप्ति की कार्यवाही का वाद पत्र में चुनौति नहीं दी गई अपितु राजस्व अभिलेख में नक्यों में किए गए त्रुटिपूर्ण अंकन की दुरूस्ती का वाद था इसी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय को वाद का निर्णय करना था परन्तु ऐसा नहीं कर जो निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया गया है। अतः उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है व अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे एन0एच0ए0आई को भी उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार संयोजित करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारति करे। उक्त प्रकरण स्वीकार योग्य प्रतीत होने से अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है।

7. अतः अपील अपीलांटस आशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 77/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2022 को निरस्त किया जाता है, व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उक्त प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को संजोजित करते हुए व उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः उक्त प्रकरण में गुणावगुण पर नए सिरे से निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner